


भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में स्टीवर्ड के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षा विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में स्टीवर्ड के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: [ajaya59@gmail.com](mailto:ajaya59@gmail.com) पर भेज सकते हैं।



(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त, 2017

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण
1.	पद का नाम	स्टीवर्ड	स्टीवर्ड	
2.	पदों की सं.	1	1* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III पद अराजपत्रित अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	<p>रु. 80-5-120-ईबी-8-200-10/2-220 (I के.वे.आ.) दूसरा के.वे.आ. - 130-5-160-8-200-ईबी-256-ईबी-8-280-300</p> <p>तीसरा के.वे.आ. -330-10-380-ईबी-12-500-ईबी-15-560</p> <p>चौथा के.वे.आ. - 1200-30-1560- ईबी-40-2040</p> <p>पांचवा के.वे.आ. -एस-7-(4000-100-6000)</p> <p>छठा के.वे.आ. - पीबी-1, जीपी-रु. 2400</p> <p>सातवां के.वे.आ. - पे मैट्रिक्स का</p>	पे मैट्रिक्स का लेवल 4 (25500)	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, के का.जा.सं. एबी. 14017/61/2008-एस्ट (आरआर) दिनांक 7.10.09 के अनुसार ओर सातवें के.वे.आ.की सिफारिश एवं का.प्र.वि. के मॉडल भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिस्थापन।

		लेवल 4 (25500)		
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद		अचयन	यदि पद वरिष्ठता एवं उपयुक्ता आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा (मैरिट आधार पर नहीं) तो यह अचयन पद होना चाहिए।
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	लागू नहीं	पद 100% प्रोन्नति आधार पर भरा जाएगा और पूरक वर्ग निम्न श्रेणी लिपिक है।
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	1. मैट्रिकुलेशन 2. केंद्र सरकारी लेखा में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव और सरकारी भंडारों, अस्पताल-रसोई और केटरिंग का कार्य करने में पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	पद 100% प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा इसलिए सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता लागू नहीं है।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	नहीं	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	यदि पदों के समान समूह में अर्थात् समूह 'ग' से समूह 'ग' में परिवीक्षा की जाती है तो प्रोन्नति नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने	सीधी भर्ती- शून्य चयन द्वारा- 100%, वरिष्ठता एवं	100% प्रोन्नति द्वारा	



	वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	उपयुक्तता-शून्य, स्थानांतरण पद-शून्य		
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	कैशियर, स्टोरकीपर और निम्न श्रेणी लिपिक	वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 (रु. 19900) में 8 वर्ष का अनुभव रखने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों में से।	सीआईपी, रांची में नि.श्रे.लि. के 16 पद हैं। कैशियर और स्टोरकीपर का पद अब जीपी रु. 2400 में है (स्टीवर्ड के समान)
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: संस्थान के निदेशक-अध्यक्ष, चिकित्सा अधिकारी-सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद के लिए डीपीसी होनी अनिवार्य है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।		लागू नहीं।	

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Public Notice on draft Recruitment Rules for the post of Steward in Central Institute of  
Psychiatry, Ranchi.

In compliance of DoPT's OM No. AB.14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.2015, the  
draft Recruitment Rules for the post of Steward in Central Institute of Psychiatry, Ranchi is  
annexed.

The stakeholders interested in making any objections/comments or suggestions on  
the draft Recruitment Rules may do so in writing, within a period of 30 days from the date  
of publication of draft Recruitment Rules to Sh. Ajaya Kumar KP, Under Secretary, Ministry  
of Health and Family Welfare, Room No. 521-A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New  
Delhi – 110108 or e-mail address: [ajaya59@gmail.com](mailto:ajaya59@gmail.com).

(Ajaya Kumar KP)

Under Secretary to the Govt. of India

Tele: 011-23061342

New Delhi

Dated:

## Annexure

S.No	As per Schedule	Provision existing RRs in	Revised provisions in proposed RRs	Reason for changes.
1.	Name of Post	Steward	Steward	
2.	No. of Posts	1	1* (subject to variation dependent on work load)	
3.	Classification	General Central Service Class-III post Non-Gazetted, Non Ministerial	General Central Service "C", Non-Gazetted, Non Ministerial	
4.	Scale of Pay (Now pay in pay matrix)	Rs.80-5-120-EB-8-200-10/2-220 (I CPC) 2 <sup>nd</sup> CPC – 130-5-160-8-200-EB-256-EB-8-280-10-300 3 <sup>rd</sup> CPC – 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 4 <sup>th</sup> CPC – 1200-30-1560-EB-40-2040 5 <sup>th</sup> CPC – S-7 (4000-100-6000) 6 <sup>th</sup> CPC PB-1 GP- Rs.2400 7 <sup>th</sup> CPC- level 4 of pay matrix (25500)	level 4 of pay matrix (Rs.25500)	As per OM No. AB.14017/61/2008-Estt.(RR) dated 24.03.09 of the Ministry of Personnel Public Grievances and Pension DoPT and replacement as per 7 <sup>th</sup> CPC recommendation, and Model RRs of DoPT.
5.	Whether selection post or non-selection post		Not-Selection	If the post is to be filled by promotion on seniority cum fitness basis (not on merit basis) so it should be Non-Selection post.
6.	Age limit for direct recruits	25 years	Not Applicable	The post is to be filled up by 100% promotion basis and LDC is feeder cadre.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits	(i)Matriculation (ii)2 years' practical experience in Central Govt. Accounts and 5 years' experience in working of Govt. Stores, Hospital	Not Applicable	The post is to be filled by 100% promotion so educational & other qualification required for direct requirement is not applicable.



S.No	As per Schedule	Provision existing in RRs	Revised provisions in proposed RRs	Reason for changes.
		Kitchen and Catering.		
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	No	Not Applicable	
9.	Period of probation, if any	2 years	No probation	If probation are made in the same group of posts i.e. Group C to Group C, there will be 'no promotion'.
10	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Direct – Nil By Selection- 100% Seniority-cum-Fitness – Nil Transfer – Nil	100% by promotion	
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Cashier, Storekeeper & L.D.C.	Amongst the Lower Division Clerk having 8 years experience in Level 2 of the Pay Matrix (Rs.19900)	There are 16 posts of LDCs in CIP, Ranchi. The post of Cashier and Store Keeper now in GP of Rs.2400 (same as that of Steward).
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Departmental Promotion Committee consisting of: Director of the Institute- Chairman Medical Officer – Member Administrative Officer – Member	DPC is essential for the post to be filled up by promotion.
13	Circumstances in		Not Applicable	

S.No	As per Schedule	Provision in existing RRs	Revised provisions in proposed RRs	Reason for changes.
	which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			